

19.8.19



वकील प्रार्थी अपास्ये। अपार्थी
अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतः
दूरव्यवस्था प्रासंगिक नहीं रहने
पर रफा रिज की जाती है।